पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 6 को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कि ओर से इकबालीया जवाब दावएवं प्रतिवादी संख्या 6 परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रेमचन्द का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा नोखा जोधा के खाता संख्या 243 प्रदर्श–1, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कि ओर से इकबालीया जवाब दाव पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौरांने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र को वाद के पेराज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा खियांला के खसरा नम्बर 141 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 3 के बिन्दु ए व बी में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 व 5 क्रमाशः डूंगरमल, नानूराम, श्यामसुन्दर व रामेश्वरी देवी के ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी प्रेमचन्द के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा जोधा के खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 4.1278 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.0639 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 रूपचन्द के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा जोधा के खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 4.1278 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.0639 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. 1, 2 , 4 व 5 क्रमाशः डूंगरमल, नानूराम, श्यामसुन्दर व रामेश्वरी देवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

4. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 07-07-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner